न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 158 / 2019	04–11–2019	12–04–2021

1–जगदीश पुत्र श्री छुटटन जाति गुर्जर निवासी सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
––प्रार्थी

बनाम

1–किशनलाल पुत्र छुटटन
2–सुरभान पुत्र छुटटन
3–विजय पुत्र छुटटन जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
––––––––––असल अप्रार्थीगण
4–उप खण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ––––––––––तर0अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री दिनेश यादव –वकील प्रार्थी
02. श्री संजीव जैन –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी जगदीश वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में प्रकरण बअनुवानी जगदीश वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा विचाराधीन है। प्रतिवादी अप्रार्थीगण प्रभावशील व्यक्ति है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर बाला–बाला तारीख पेशी दिनांक 23.9.19 नियत कर नजदीक–नजदीक तारीख पेशी नियत की जा रही है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी ने भी काफी बार वादी अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। अप्रार्थी काफी असरदार व राजनैतिक व्यक्ति है। अप्रार्थी की तरफ से अब यह पूरा अन्देशा हो गया है कि वो पीठासीन अधिकारी से मिल कर उक्त मुकदमें को खत्म करवा देगें। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन अधिकारी विपक्षीगण को बेजा लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। बअनुवानी जगदीश वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा को खारिज कराने की कौशिश में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के अनुसार कार्यवाही कर रहें है, और ना ही प्रार्थी को कोई धमकी किसी प्रकार की दी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के गलत तथ्य दर्ज करते हुऐ पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है तो प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमने कोई आपत्ति नही है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वकुलायों द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण का जल्दी निस्तारण के लिए दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावें तो कोई आपत्ति नहीं, पक्षकारान द्वारा भी अपनी सहमति जाहीर की गई। जहॉ किसी पक्षकार को पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर कोई संदेह उत्पन्न हो जावे तो पक्षकार की संतुष्टि एवं न्याय में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन बअनुवानी जगदीश वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा को उप खण्ड अधिकारी किशनगढबास के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी तिजारा तत्काल उक्त प्रकरण बअनुवानी जगदीश वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा की पत्रावली उप खण्ड अधिकारी किशनगढबास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर